भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3150

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब

3150. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री बैन्नी बेहनन:

डॉ. नामदेव किरसान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जो वर्तमान में विलंबित हैं, की कुल संख्या और उनकी लागत कितनी है और उक्त परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) राजमार्ग संबंधी परियोजनाओं, जिनके लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, की कुल संख्या और लागत कितनी है और उक्त परियोजनाओं का निर्माण शुरू न होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा लागत में वृद्धि से बचने के लिए उक्त विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार सभी विलंबित या अधूरी राजमार्ग परियोजनाओं को किस प्रकार निर्धारित समय पर पुनः शुरू करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के पश्चात् स्वीकृत की गई और सौंपी गई तथा वर्तमान में निर्माणाधीन 643 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं जिनकी संचयी परियोजना लागत लगभग चार लाख करोड़ रु. है, संविदा के अनुसार अपनी मूल पूर्णता समय सीमा से विलंबित हैं। जिनमें से 301 परियोजनाएं 1 वर्ष से कम, 263 परियोजनाएं 1-3 वर्ष की और 79 परियोजनाएं 3 वर्ष से अधिक की देरी का सामना कर रही हैं और ये परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी भी चरण को प्राप्त नहीं कर पाई हैं और इनमें समाप्त किए जाने / समय से पहले बंद किए जाने वाली विचाराधीन परियोजनाएं शामिल नहीं हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी होने वाली हैं।

(ख) लगभग एक लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 133 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं सौंप दी गई हैं, लेकिन पूर्व-अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय समापन की प्राप्ति और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए संविदाकार/रियायतग्राही के साथ उपलब्ध समय अवधि को छोड़कर

वन और वन्यजीव मंजूरी सहित ऋणभार मुक्त भूमि की उपलब्धता और मंजूरी लंबित होने के कारण नियत तिथि घोषित नहीं हो पाई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहले की हैं। इनमें "भूमिराशि" पोर्टल और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करना और वन और पर्यावरणीय मंजूरी की सुविधा में तेज गति लाने के लिए "परिवेश" पोर्टल में सुधार करना, रेलवे से सड़क ऊपरि पुल/ सड़क अधोगामी पुल (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेखन (जीएडी) की ऑनलाइन मंजूरी को सक्षम करना और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में अवरोधों / बाधाओं की समीक्षा और समाधान के कार्य तंत्र का सदुपयोग करना शामिल है। रेलवे ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए निर्धारित समयसीमा के साथ रेलवे से संबंधित मंजूरी के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और ठेकेदार की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई कार्य तंत्रों का उपयोग करके एक सुदृढ़ ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति और ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं जोकि तीन वर्ष से अधिक की देरी या आवंटन/नियत तिथि के लिए लंबित हैं, का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारें परियोजना निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं के मुद्दे अनसुलझे रहते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए बढ़ाया जाता है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, 3 वर्ष से अधिक की विलंब वाली परियोजनाओं की संख्या दिनांक 01.04.2024 को 152 से घटकर दिनांक 30.11.2025 को 85 रह गई है। इसके अतिरिक्त, जिन परियोजनाओं के लिए नियत तिथि 12 माह से अधिक समय तक प्रदान किए जाने के बाद भी घोषित नहीं की जा सकी, उनकी संख्या दिनांक 01.04.2024 को 87 से घटकर दिनांक 30.11.2025 को 45 रह गई है।
